न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक

पीठासीन अधिकारी– शिव चरण मीना
आर.ए.एस.

मिसल नम्बर	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
59 / 2018 / प्रा.पत्र / 2018	22.10.2018	06.07.2023

मदनलाल गुर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक

.....आवेदक

बनाम

1–श्री मदन लाल शर्मा पुत्र श्री बजरंग लाल शर्मा एफ.बी.ओ. मैसर्स तिवाडी एन्टरप्राईजेज नवीन मण्डी मालपुरा जिला टोंक राज. निवासी दूदू रोड ख्वासजी की हवेली ट्रक स्टैण्ड के पास मालपुरा जिला टोंक
2–मैसर्स तिवाडी एन्टरप्राईजेज नवीन मण्डी मालपुरा जिला टोंक राज.
3–श्री मनमोहन मंत्री पुत्र श्री देव सुन्दर मंत्री भागीदार मैसर्स काकाजी फूड प्रोडक्ट, 8 चन्दन कॉलोनी सीताबाडी टोंक रोड जयपुर राज. निवासी एम–13 ए, महेश कॉलोनी टोंक फाटक जयपुर राज.
4–मैसर्स काकाजी फूड प्रोडक्ट, 8 चन्दन कॉलोनी सीताबाडी टोंक रोड जयपुर
5–श्री अनिल कुमार पुत्र श्री रामजी लाल प्रोपरायटर मैसर्स कृष्णा ट्रेडिंग कम्पनी बी–2 / 171, सेक्टर 17 रोहिणी नार्थ वेस्ट दिल्ली निवासी 2151 रानी बाग सकुर बस्ती नई दिल्ली
6–मैसर्स कृष्णा ट्रेडिंग कम्पनी बी–2 / 171, सेक्टर 17 रोहिणी नार्थ वेस्ट दिल्ली

.....अप्रार्थीगण

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2(ii) एफएसएस एक्ट 2006 रूल्स 2011

उपस्थित–
1–पेरोकार सरकार।
2–अभिभाषक अप्रार्थीगण श्री राजकुमार माथुर एड.।

:–निर्णय–: **दिनांक 06.07.2023**

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 27.02.2018 को समय 02:38 पी.एम पर मैसर्स तिवाडी एन्टरप्राईजेज नवीन मण्डी मालपुरा जिला टोंक राज. पर पहुँचा। वहाँ पर श्री मदन लाल शर्मा पुत्र श्री बजरंग लाल शर्मा मिला, को अपना परिचय दिया एवं परिचय लिया तथा पूछने पर श्री मदन लाल शर्मा ने स्वयं को प्रतिष्ठान का एफ. बी.ओ. होना बताया एवं खाद्य अनुज्ञा बिक्री प्रपत्र मांगे जाने पर खाद्य अनुज्ञा पत्र दिखाया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रतिष्ठान का निरीक्षण करने पर पाया कि प्रतिष्ठान में आम जनता को विक्रय करने हेतु अन्य खाद्य पदार्थ के साथ **घी प्रीमियम दीप शिखा (Ghee Premium Deep shikha)** दुकान में 449–449 ग्राम के 9 नग 1 कार्टून में रखे हुए थे, जिसे खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत देखने व निरीक्षण करने पर मानक स्तर का न होने का

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

अन्देशा हुआ तो श्री मदन लाल शर्मा को फार्म न. 5ए दो प्रतियों में नियमानुसार भरकर विक्रेता को सूचित कर प्रतियों में विकेता व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये व स्वयं आवेदक ने हस्ताक्षर मय मोहर किये तथा एक प्रति विकेता को वास्ते सूचनार्थ सुपुर्द कर बताकर कि यह **घी प्रीमियम दीप शिखा (Ghee Premium Deep shikha)** जिसके बैच नम्बर 15 एवं पैकिंग की दिनांक जून 2017 थी, वास्ते मानक स्तर की जाँच करवाने हेतु क्रय किया जा रहा है, 449–449 ग्राम के 4 नग 1796 ग्राम खरीदा, जिसकी कीमत विक्रेता को नगद देकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा **घी प्रीमियम दीप शिखा (Ghee Premium Deep shikha)** के एक–एक पैकेट वाले चार भाग भाग तैयार कर एवं चारों नमूना भागो के लिये चार लेबल नियमानुसार तैयार कर लेबलों पर नमूना लेने का दिनांक व स्थान व लिए गये खाद्य पदार्थ का नाम तथा डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक आई–1846 एवं पूर्ण विवरण अंकित किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर मय मोहर किये एवं विक्रेता तथा गवाहान के नियमानुसार हस्ताक्षर कराये तथा प्रत्येक नमूना भाग पर लेबलों को गोद से चिपकाया व चारों नमूना भागों को अलग–अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. आई–1846 नियमानुसार चारों नमूना भाग पर नीचे से ऊपर तक गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहान के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवायें कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आये। चारो नमूना भाग नियमानुसार मौके पर तैयार कर चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया एवं मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नं. 6 की छः प्रतियाँ तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया तथा एक नमूना भाग मय फार्म सं 6 की प्रति के आउटर कवर में रखकर पुनः सील चपड़ी कर नियमानुसार तैयार किया एवं एक नमूना खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला अजमेर को भेजा एवं नमूना जमा कराकर रसीद प्राप्त की।

विक्रेता श्री मदन लाल शर्मा पुत्र श्री बजरंग लाल शर्मा ने मौके पर मैसर्स काकाजी फूड प्रोडक्ट, 8 चन्दन कॉलोनी सीताबाडी टोंक रोड जयपुर का वारन्टी बिल पेश कर उक्त खाद्य पदार्थ क्रय करना बताया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक के पत्र क्रमांक एफ.एस.एस.ए./18/969 दिनांक 06.04.2018 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक अजमेर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं. एल.एस./177/एक्ट/2018/183 दिनांक 02.04.2018 के अनुसार विक्रेता से वास्ते मानक स्तर की जाँच करवाने हेतु क्रय किया गया **घी प्रीमियम दीप शिखा (Ghee Premium Deep shikha)** एफ.एस.एस.ए. की धारा 2(i) का उल्लंघन करने के कारण **असुरक्षित (Unsafe)** स्तर का होना पाया गया जिसकी सूचना आवेदक ने अतः आवेदक ने विक्रेता श्री मदन लाल शर्मा को दी।

वारंटी होने के कारण श्री मदन लाल शर्मा ने नमूना पुनः जांच करवाने हेतु अपील आवेदन किया जिस पर नमूना पुनः जांच करवाने हेतु निदेशक रैफरल फूड लैब मैसूर भिजवाया गया। निदेशक, रैफरल फूड लैब मैसूर की जांच रिपोर्ट क्रमांक एफटी/एक्यूसीएल/एफ.एस.एस.ए./287/एफ/2018 दिनांक 09.07.2018 के अनुसार उक्त नमूना एफ.एस.एस.ए. की धारा

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

3(1)(zx) के उल्लंघन के कारण **अवमानक (Sub-Standard)** पाया गया जो कि अन्तिम रूप से मान्य हैं जिसकी रिपोर्ट विक्रेताओं को भिजवायी गयी।

आवेदक द्वारा मैसर्स काकाजी फूड प्रोडक्ट, 8 चन्दन कॉलोनी सीताबाडी टोंक रोड जयपुर से सम्पर्क किए जाने पर उक्त फर्म के व्यवहारी ने मैसर्स कृष्णा ट्रेडिंग कम्पनी बी–2/171, सेक्टर 17 रोहिणी नार्थ वेस्ट दिल्ली का बिल पेश कर उक्त खाद्य पदार्थ क्रय करना बताया जो कि निर्माता फर्म है। अतः आवेदक ने विक्रेताओं के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण की ओर से उनके अभिभाषक श्री राजकुमार माथुर उपस्थित हुए एवं बहस की एवं बहस में अप्रार्थीगण की ओर से जुर्म स्वीकार करते हुए न्यूनतम शास्ति आरोपित करने का निवेदन किया। पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई। पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थीगण जिस **वनस्पति (गगन ब्राण्ड)** का विक्रय कर रहे थे वह जांच में **अवमानक (Sub-Standard)** स्तर का होना पाया गया है, इसलिए अप्रार्थीगण को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने अभिभाषक अप्रार्थीगण एवं पेरोकार सरकार की बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अप्रार्थीगण के पास से लिया गया **घी प्रीमियम दीप शिखा (Ghee Premium Deep shikha)** का नमूना जांच में **अवमानक (Sub-Standard)** स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) के अन्तर्गत अपराध तथा धारा 51 (सहपठित धारा 49) के अन्तर्गत जुर्माने की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थीगण पर कुल शास्ति रूपये 25,000/–(अक्षरे पच्चीस हजार रूपये) आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये डीडी न्यायालय में अथवा जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक 06.07.2023 से एक माह के अन्दर अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 06.07.2023 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

(शिव चरण मीना)
न्यायनिर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक–राज0